

[दि डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास बिल, 2020 का हिंदी अनुवाद]

## प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक, 2020

विवादित कर के समाधान के लिए और उससे संबंधित  
और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध  
करने के लिए  
विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 है।
2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
  - (क) “अपीलार्थी” से ऐसा व्यक्ति या आय-कर प्राधिकारी या दोनों अभिप्रेत है, जिसने अपील मंच के समक्ष अपील फाइल की है और ऐसी अपील, विनिर्दिष्ट तारीख को लंबित है;
  - (ख) “अपील मंच” से उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या आय-कर अपील अधिकरण या आयुक्त (अपील) अभिप्रेत हैं;

संक्षिप्त नाम ।

परिभाषाएँ ।

- (ग) "घोषणाकर्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो धारा 4 के अधीन घोषणा फाइल करता है ;
- (घ) "घोषणा" से धारा 4 के अधीन फाइल की गई घोषणा अभिप्रेत है ;
- (ङ) "अभिहित प्राधिकारी" से इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, प्रधान मुख्य आयुक्त द्वारा अधिसूचित आय-कर आयुक्त की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति का और कोई 5 अधिकारी अभिप्रेत है ;
- (च) "विवादित फीस" से आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन अवधारित ऐसी फीस अभिप्रेत है, जिसके संबंध में अपीलार्थी द्वारा अपील फाइल की गई है ;
- (छ) किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में "विवादित आय" से संपूर्ण आय या कुल आय का उतना भाग अभिप्रेत है, जो विवादित कर से संबंधित है ; 10
- (ज) "विवादित ब्याज" से आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन किसी दशा में अवधारित ब्याज अभिप्रेत है, जहां,— 1961 का 43
- (i) ऐसा ब्याज, विवादित कर पर प्रभारित या प्रभार्य नहीं है ;
  - (ii) ऐसे ब्याज के संबंध में अपीलार्थी द्वारा कोई अपील फाइल की गई है ;
- (झ) "विवादित शास्ति" से आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन किसी 15 1961 का 43 दशा में अवधारित शास्ति अभिप्रेत है, जहां,—
- (i) ऐसी शास्ति, यथास्थिति, विवादित आय या विवादित कर के संबंध में उद्गृहीत या उग्रहणीय नहीं है ;
  - (ii) ऐसी शास्ति के संबंध में अपीलार्थी द्वारा कोई अपील फाइल की गई है ;
- (ञ) किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में "विवादित कर" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,— 20
- (i) आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन निम्नलिखित सूत्र के अनुसार 1961 का 43 अवधारित कर,—
- (क - ख) + (ग - घ), जहां
- क = आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 115ख या धारा 115ग्र में 1961 का 43 अंतर्विष्ट उपबंधों से भिन्न आय-कर के उपबंधों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 25 साधारण उपबंध कहा गया है) के अनुसार निर्धारित कुल आय पर कर की रकम ;
- ख = कर की वह रकम, जो प्रभार्य हुई होती, यदि साधारण उपबंधों के अनुसार निर्धारित कुल आय में उस आय की रकम जिसके संबंध में अपीलार्थी द्वारा अपील फाइल की गई है, को घटा दिया जाता; 30
- ग = आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 115ख या धारा 115ग्र में 1961 का 43 अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार निर्धारित कुल आय पर कर की रकम ;
- घ = कर की वह रकम, जो प्रभार्य हुई होती, यदि आय-कर अधिनियम की धारा 115ख या धारा 115 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार निर्धारित कुल आय में उस आय की रकम जिसके संबंध में अपीलार्थी द्वारा अपील फाइल 35 की गई है, को घटा दिया जाता :

1961 का 43

5

1961 का 43

10

15

1961 का 43

20

25

30

35

परंतु जहां आय की ऐसी रकम, जिसके संबंध में अपीलार्थी द्वारा अपील फाइल की गई है, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 115ज्रख या धारा 115 जग में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन और साधारण उपबंधों के अधीन विचार किया जाता है, वहां ऐसी रकम मद घ के अधीन रकम का अवधारण करते समय निर्धारित कुल आय में से नहीं घटाई जाएगी :

परंतु यह और कि उस दशा में, जहां आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 115ज्रख या धारा 115 जग में अंतर्विष्ट उपबंध लागू नहीं होते हैं, वहां सूत्र में मद (ग - घ) पर ध्यान नहीं दिया जाएगा :

परंतु यह भी कि उस दशा में, जहां आय की रकम, जिसके संबंध में अपीलार्थी द्वारा अपील फाइल की गई है, विवरणी में घोषित हानि को घटाने या उस हानि को आय में संपरिवर्तित करने का प्रभाव रखती है, वहां विवादित कर की रकम, उपखंड (i) में विनिर्दिष्ट सूत्र के अनुसार इस उपांतरण के साथ अवधारित की जाएगी कि इस सूत्र में मद (क - ख) के लिए अवधारित की जाने वाली रकम, कर की वह रकम होगी, जो ऐसी आय, जिसके संबंध में अपीलार्थी द्वारा अपील फाइल की गई है, पर प्रभार्य हुई होती, यदि ऐसी आय कुल आय थी ;

(ii) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 200क या धारा 201 या धारा 206ग की उपधारा (6क) या धारा 206गख के अधीन अवधारित कर, जिसके संबंध में अपीलार्थी द्वारा अपील फाइल की गई है ।

(ट) "आय-कर अधिनियम" से आय-कर अधिनियम, 1961 अभिप्रेत है ;

(ठ) "अंतिम तारीख" से ऐसी तारीख अभिप्रेत है, जो केंद्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में, अधिसूचित की जाए;

(ड) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ढ) "विनिर्दिष्ट तारीख" से 31 जनवरी, 2020 अभिप्रेत है ;

(ण) "कर बकाया" से आय-कर अधिनियम के उपबंधों के अधीन यथा अवधारित निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(i) विवादित कर, ऐसे विवादित कर पर प्रभार्य या प्रभारित ब्याज और ऐसे विवादित कर पर उग्रहणीय या उद्गृहीत शास्ति की कुल रकम ; या

(ii) विवादित ब्याज ; या

(iii) विवादित शास्ति ; या

(iv) विवादित फीस ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु आय-कर अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो ऋणशः उनके उस अधिनियम में हैं ।

3. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां कोई घोषणाकर्ता, अभिहित प्राधिकारी के पास धारा 4 के उपबंधों के अनुसार कर बकाया के संबंध में कोई घोषणा फाइल करता है, वहां आय-कर अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के

होते हुए भी, घोषणाकर्ता द्वारा इस अधिनियम के अधीन संदेय रकम निम्नानुसार होगी, अर्थात् :—

क्र०सं०	कर बकाया की प्रकृति	31 मार्च, 2020 को या उसके उससे पहले इस पश्चात्, किंतु अंतिम तारीख अधिनियम के अधीन को या उससे पहले इस संदेय रकम	1 अप्रैल, 2020 को या उसके प्रतिशत, 5 अधिनियम के अधीन संदेय रकम
(क)	जहां कर बकाया, विवादित कर की रकम विवादित कर, ऐसे विवादित कर पर प्रभार्य या प्रभारित ब्याज और ऐसे विवादित कर पर उद्ग्रहणीय या उद्ग्रहित शास्ति की कुल रकम है।	विवादित कर की रकम का योग और विवादित कर का दस प्रतिशत, 10	परंतु जहां विवादित कर का दस प्रतिशत, ऐसे विवादित कर पर प्रभार्य या प्रभारित ब्याज और ऐसे विवादित कर पर उद्ग्रहणीय या उद्ग्रहित शास्ति की कुल रकम के योग से अधिक है, वहां इस अधिनियम के अधीन संदेय रकम की संगणना के प्रयोजन के लिए ऐसे आधिक्य पर ध्यान 15 नहीं दिया जाएगा। 20
(ख)	जहां कर बकाया का विवादित ब्याज या विवादित ब्याज या विवादित संबंध विवादित ब्याज या विवादित शास्ति या शास्ति या विवादित फीस का विवादित शास्ति या विवादित फीस का तीस प्रतिशत। विवादित फीस से है।	विवादित ब्याज या विवादित फीस का तीस प्रतिशत। 25	

घोषणा फाइल करना और विशिष्टियों का दिया जाना।

4. (1) धारा 3 में निर्दिष्ट घोषणा, अभिहित प्राधिकारी के समक्ष, ऐसे प्ररूप में फाइल की जाएगी और ऐसी रीति में सत्यापित की जाएगी, जो विहित की जाए।

(2) घोषणा फाइल किए जाने पर, विवादित आय या विवादित ब्याज या विवादित शास्ति या विवादित फीस और कर बकाया के संबंध में आय-कर अपील अधिकरण या आयुक्त (अपील) के समक्ष लंबित कोई अपील उस तारीख से, जिसको धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन 30 अभिहित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र जारी किया गया है, वापस ले ली गई समझी जाएगी।

(3) जहां घोषणाकर्ता ने कर बकाया के किसी आदेश के विरुद्ध अपील मंच के समक्ष कोई अपील या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष कोई रिट याचिका फाइल की है, वहां वह न्यायालय की अनुमति से, जहां कहीं अपेक्षित हो, ऐसी अपील या रिट याचिका वापस लेगा और उपधारा (1) में निर्दिष्ट घोषणा के साथ ऐसी वापसी का प्रमाण प्रस्तुत करेगा। 35

(4) जहां घोषणाकर्ता ने माध्यस्थम, सुलह या मध्यकर्ता के लिए कोई कार्यवाही आरंभ की है या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन या भारत द्वारा किसी अन्य देश या भारत के बाहर राज्यक्षेत्र के साथ किए गए किसी करार के अधीन, चाहे विनिधान के संरक्षण या अन्यथा

के लिए हो, कोई सूचना दी है, वहां वह घोषणा करने के पूर्व ऐसी कार्यवाहियों या सूचना में दावे को, यदि कोई हो, वापस लेगा और उपधारा (1) में निर्दिष्ट घोषणा के साथ ऐसी वापसी का प्रमाण प्रस्तुत करेगा।

(5) उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, घोषणाकर्ता, ऐसे कर बकाया के संबंध में, जो कानून द्वारा या भारत सरकार द्वारा भारत के बाहर किसी देश या किसी राज्यक्षेत्र के साथ किए गए किसी करार, चाहे विनिधान के संरक्षण के लिए हो या अन्यथा, के अधीन उपचार या किसी दावे की ईप्सा या उसे अग्रसर करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने अधिकार को त्याग देगा और वचनबंध, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में देगा, जो विहित की जाए।

(6) यह उपधारणा की जाएगी कि उपधारा (1) के अधीन घोषणा कभी नहीं की गई है, यदि,-

(क) घोषणा में दी गई कोई तात्त्विक विशिष्टि किसी प्रक्रम पर गलत पाई जाती है ;

(ख) घोषणाकर्ता इस अधिनियम में निर्दिष्ट शर्तों में से किसी शर्त का अतिक्रमण करता है ;

(ग) घोषणाकर्ता ऐसी रीति में कार्य करता है, जो उपधारा (5) के अधीन उसके द्वारा दिए गए वचनबंध के अनुसार नहीं है, और ऐसी दशाओं में आय-कर अधिनियम के अधीन उन सभी कार्यवाहियों और दावों को, जिन्हें धारा 4 के अधीन वापस ले लिया गया था, तथा घोषणाकर्ता के विरुद्ध सभी परिणामों को, पुनः प्रवर्तित किया गया समझा जाएगा।

(7) कोई भी अपील मंच या माध्यस्थ, सुलहकार या मध्यक घोषणा में उल्लिखित किसी कर बकाया से संबंधित और जिसके संबंध में धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन अभिहित प्राधिकारी द्वारा कोई आदेश किया गया है या उस धारा के अधीन अवधारित राशि से संबंधित किसी विवाद्यक को विनिश्चित करने की कार्यवाही नहीं करेगा।

5. (1) अभिहित प्राधिकारी घोषणा की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर, आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार घोषणाकर्ता द्वारा संदेय रकम को अवधारित करेगा और घोषणाकर्ता को ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, एक प्रमाणपत्र, कर बकाया की विशिष्टियों को और उसमें ऐसे अवधारण के पश्चात्, संदेय राशि को उसमें उपवर्णित करते हुए अनुदत्त करेगा।

(2) घोषणाकर्ता, अभिहित प्राधिकारी को, प्रमाणपत्र की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, उपधारा (1) के अधीन अवधारित रकम का संदाय करेगा और उसे संदाय के ब्यौरे, विहित प्ररूप में सूचित करेगा तथा तत्पश्चात् अभिहित प्राधिकारी एक आदेश यह कथन करते हुए पारित करेगा कि घोषणाकर्ता ने रकम का संदाय कर दिया है।

(3) इस अधिनियम के अधीन संदेय रकम को अवधारित करते हुए, उपधारा (1) के अधीन पारित प्रत्येक आदेश, उसमें कथित विषयों के संबंध में निश्चायक होगा और ऐसे आदेश के अंतर्गत आने वाले किसी विषय पर आय-कर अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन भारत द्वारा किसी अन्य देश के साथ या भारत से बाहर किसी राज्यक्षेत्र के साथ किए गए करार के अधीन, कोई कार्यवाही चाहे विनिधान के संरक्षण के लिए हो या अन्यथा पुनः आरंभ नहीं की जाएगी।

संदाय  
समय  
और  
रीति ।

कतिपय मामलों  
में अपराध  
संबंधी  
कार्यवाहियां  
आंभ करने और  
शास्ति  
अधिरोपित करने  
से उन्मुक्ति ।

संदत रकम का  
कोई प्रतिदाय न  
होना ।

घोषणाकर्ता को  
कोई फायदा,  
छूट या  
उन्मुक्ति न  
देना ।

कतिपय मामलों  
में अधिनियम  
का लागू न  
होना ।

6. अभिहित प्राधिकारी, धारा 5 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कर बकाया के संबंध में, आय-कर अधिनियम के अधीन किसी अपराध के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही संस्थित नहीं करेगा ; या कोई शास्ति अधिरोपित या उद्गृहीत नहीं करेगा ; या कोई ब्याज प्रभारित नहीं करेगा ।

7. धारा 4 के अधीन की गई घोषणा के अनुसरण में संदत किसी रकम का किसी भी 5 परिस्थिति में प्रतिदाय नहीं किया जाएगा ।

8. धारा 5 की उपधारा (3) या धारा 6 में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम की किसी बात को घोषणाकर्ता के संबंध में की जाने वाली कार्यवाहियाँ से भिन्न किन्हीं कार्यवाहियों में घोषणाकर्ता को कोई फायदा, छूट या उन्मुक्ति प्रदान करने के अर्थ में नहीं लगाया जाएगा ।

10

#### 9. इस अधिनियम के उपबंध,-

(क) किसी कर बकाया या विनिर्दिष्ट कर के संबंध में,-

(i) किसी निर्धारण वर्ष, जिसके संबंध में आय-कर अधिनियम की धारा 153क या धारा 153ग के अधीन कोई निर्धारण किया गया है, यदि यह किसी कर बकाया से संबंधित है, के संबंध में लागू नहीं होंगे ;

15

(ii) किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में, जिसकी बाबत घोषणा फाइल करने की तारीख को या उससे पूर्व कोई अभियोजन संस्थित किया गया है, लागू नहीं होंगे ;

(iii) भारत से बाहर अवस्थित किसी स्रोत से अप्रकटित किसी आय या भारत से बाहर स्थित आस्ति से अप्रकटित किसी आय के संबंध में लागू नहीं होंगे ;

(iv) आय-कर अधिनियम की धारा 90 या धारा 90क में निर्दिष्ट किसी करार, 20 यदि वह किसी कर बकाया से संबंधित है, के अधीन प्राप्त सूचना के आधार पर किए गए किसी निर्धारण या पुनः निर्धारण के संबंध में लागू नहीं होंगे ;

(v) आयुक्त (अपील) के समक्ष किसी अपील, जिसके संबंध में आय-कर अधिनियम की धारा 251 के अधीन अभिवर्धन की सूचना विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पूर्व जारी की गई है, के संबंध में लागू नहीं होंगे ।

25

(ख) घोषणा फाइल करने पर या उसके पूर्व किसी व्यक्ति के संबंध में, जिस पर विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के अधीन निरोध आदेश किया गया है, लागू नहीं होंगे :

1974 का 52

परंतु यह कि,-

(i) निरोध के ऐसे आदेश, जो ऐसा कोई आदेश है, जिसको उक्त अधिनियम की 30 धारा 9 या धारा 12क के उपबंध लागू नहीं होते हैं, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 8 के अधीन सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर या सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट की प्राप्ति से पूर्व प्रतिसंहृत नहीं किया गया है ; या

(ii) निरोध के ऐसे आदेश, जो ऐसा कोई आदेश है, जिसको उक्त अधिनियम

की धारा 9 के उपबंध लागू होते हैं, को उसके लिए अवधि के अवसान से पूर्व या धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन पुनर्विलोकन के आधार पर या उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 8 के अधीन सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर प्रतिसंहृत नहीं किया गया है ; या

- 5 (iii) निरोध के ऐसे आदेश,जो ऐसा कोई आदेश है, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 12क के उपबंध लागू होते हैं, का उस धारा की उपधारा (3) के अधीन पहले पुनर्विलोकन के लिए, अवधि के अवसान से पूर्व या उसके आधार पर या उक्त अधिनियम की धारा 12क की उपधारा (6) के साथ पठित धारा 8 के अधीन सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर प्रतिसंहृत नहीं किया गया है ;
- 10 (iv) निरोध के ऐसे आदेश को सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा अपास्त नहीं किया गया है ;
- 1860 का 45 (ग) किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में, जिसका भारतीय दंड संहिता, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967, स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985, भृष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002, बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988 के उपबंधों के अधीन या किन्हीं नागरिक दायित्व का प्रवर्तन करने के प्रयोजन के लिए दंडनीय किसी अपराध के लिए घोषणा फाइल करने पर या उससे पूर्व अभियोजन संस्थित नहीं किया गया है या ऐसे व्यक्ति को किसी ऐसे दंडनीय अपराध के लिए, इन अधिनियमों में से किसी अधिनियम के अधीन सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है, के संबंध में लागू नहीं होंगे ;
- 1967 का 37 (घ) घोषणा फाइल करने पर या उससे पूर्व विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) अधिनियम, 1992 की धारा 3 के अधीन अधिसूचित किसी व्यक्ति के संबंध में लागू नहीं होंगे ।
- 1985 का 61 10. (1) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर प्राधिकारियों को, समय-समय पर ऐसे निदेश और आदेश जारी कर सकेगा, जो वह ठीक समझे :
- 1988 का 49 25 परंतु ऐसा कोई निदेश या आदेश जारी नहीं किया जाएगा, जो किसी अभिहित प्राधिकारी से किसी विशिष्ट मामले का किसी विशिष्ट रीति में निपटान करने की अपेक्षा करे ।
- 2003 का 15 (2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उक्त बोर्ड, यदि अधिनियम के प्रयोजन के लिए, जिसके अंतर्गत राजस्व का संग्रहण भी है, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है, तो समय-समय पर, मामलों के किसी वर्ग के संबंध में अधिनियम से संबंधित कार्य के लिए, जिसके अंतर्गत राजस्व का संग्रहण भी है, प्राधिकारियों द्वारा अनुसरण किए जाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों या प्रक्रियाओं के संबंध में निदेश या अनुदेश उपर्योग करते हुए, साधारण या विशेष आदेश जारी कर सकेगा और ऐसे आदेश जारी कर सकेगा, यदि बोर्ड का यह मत हो कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है ।
- 1988 का 45 30 35 11. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, ऐसे आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी :
- परंतु ऐसा कोई आदेश, ऐसी तारीख से, जिसको इस अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होते हैं, दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

बोर्ड की नदेश,  
आदि जारी  
करने की  
शक्ति ।

कठिनाई को  
दूर करने की  
शक्ति ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

नियम बनाने की  
शक्ति ।

12. (1) केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी ।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में ५ निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों का उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :-

(क) धारा 4 के अधीन वह प्ररूप, जिसमें कोई घोषणा की जा सकेगी और वह रीति, जिसमें ऐसी घोषणा का सत्यापन किया जा सकेगा ;

(ख) धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन वह प्ररूप और रीति, जिसमें घोषणाकर्ता वचनबंध देगा ; १०

(ग) धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन वह प्ररूप, जिसमें प्रमाणपत्र अनुदत्त किया जाएगा ;

(घ) धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन वह प्ररूप, जिसमें संदाय की सूचना दी जाएगी ;

(ङ) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए या जिसके १५ संबंध में नियमों द्वारा उपबंध किए जाने हैं ।

(3) इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के, या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के २० अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं, तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निप्रभावी हो जाएगा किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निप्रभावी होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । २५

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

गत वर्षों के दौरान, करदाताओं और साथ ही सरकार द्वारा फाइल की गई लंबित अपीलों की संख्या में इस तथ्य के कारण वृद्धि हुई है कि ऐसी अपीलों, जो फाइल की जाती हैं, की संख्या उन अपीलों, जिनका निपटारा किया जाता है, की संख्या से बहुत अधिक है। परिणामस्वरूप, विवादित कर बकाया की भारी रकम इन अपीलों में अवरुद्ध है। तारीख 30 नवम्बर, 2019 को, विवादित कर बकाया की रकम 9.32 लाख करोड़ रुपए है। इस पर विचार करते हुए कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में वास्तविक प्रत्यक्ष कर संग्रहण 11.37 लाख करोड़ रुपए था, इस प्रकार विवादित कर बकाया का रकम लगभग एक वर्ष के प्रत्यक्ष कर संग्रहण के बराबर है।

2. सरकार और साथ ही करदाताओं, दोनों की ओर से इन कर विवादों में प्रचुर मात्रा में समय, ऊर्जा और संसाधनों की खपत होती है। इसके अतिरिक्त, ये सरकार को समय पर राजस्व के संग्रहण से भी वंचित रखते हैं। अतः लंबित कर विवादों के समाधान के लिए उपबंध करना अत्यंत आवश्यक है। इससे सरकार को न केवल समय पर राजस्व सृजित करके फायदा होगा, बल्कि ऐसे करदाताओं को भी फायदा होगा, जो अपने कारबार क्रियाकलापों के मद्दे ऐसे विवाद समाधान का विकल्प लेकर बचाए गए समय, ऊर्जा और संसाधनों को परिनियोजित करने में समर्थ होंगे।

3. अतः, प्रत्यक्ष कर से संबंधित विवाद समाधान हेतु एक विधेयक अर्थात् प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक, 2020 पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जो अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित के लिए उपबंध करता है, अर्थात्:-

(क) विधेयक के उपबंध करदाताओं या सरकार द्वारा फाइल की गई ऐसी अपीलों को लागू होंगे जो आयुक्त (अपील), आयकर अपील अधीकरण, उच्च न्यायालय, या उच्चतम न्यायालय के समक्ष 31 जनवरी, 2020 को इस तथ्य को ध्यान में लाए बिना लंबित है कि ऐसे मामलों में मांग लंबित है या संदर्त कर दी गई है ;

(ख) लंबित अपील, निर्धारण या पुनःनिर्धारण आदेश के संबंध में विवादित कर, ब्याज या शास्ति के विरुद्ध या जहां कोई विवादित कर नहीं है, विवादित ब्याज, विवादित शास्ति या विवादित फीस के विरुद्ध हो सकेगी। इसके अतिरिक्त, विवादित कर के अंतर्गत स्रोत पर कटौती किए गए कर या स्रोत पर संगृहीत कर की बाबत व्यतिक्रमों पर अवधारित कर भी होगा ;

(ग) विवादित कर से संबंधित अपीलों में घोषणाकर्ता केवल संपूर्ण विवादित कर का संदाय करेगा, यदि संदाय 31 मार्च, 2020 से पहले किया जाता है और 31 मार्च, 2020 के पश्चात् किंतु केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित तारीख को या उससे पहले किए गए संदायों के लिए संदेय रकम को विवादित कर के 10 प्रतिशत से बढ़ा दिया जाएगा;

(घ) विवादित शास्ति, विवादित ब्याज या विवादित फीस से संबंधित अपीलों में

घोषणकर्ता द्वारा संदेय रकम को, यथास्थिति, विवादित शास्ति, विवादित ब्याज या विवादित फीस के 25 प्रतिशत से बढ़ा दिया जाएगा, यदि संदाय 31 मार्च, 2020 को या उससे पहले कर दिया जाता है। यदि संदाय 31 मार्च, 2020 के पश्चात् किंतु केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित तारीख को या उससे पहले किया जाता है तो संदेय रकम को, यथास्थिति, विवादित शास्ति, विवादित ब्याज या विवादित फीस के 30 प्रतिशत से बढ़ा दिया जाएगा।

4. प्रस्तावित विधेयक उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसको इसे राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है और घोषणा, तत्पश्चात् सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख तक की जा सकेगी।

**निर्मला सीतारामन**

**नई दिल्ली :**

**1 फरवरी, 2020**